दीप सिद्धू समेत आठ पर इनाम घोषित

हरिभूमि न्यूज ⏭ नई दिल्ली

गणतंत्र दिवस किसान ट्रैक्टर परेड के दौरान दिल्ली में हुई हिंसा को लेकर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल व क्राइम ब्रांच अब बड़ी और निर्णायक तैयारी में जुट गई है। आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की कोशिश में पंजाबी एक्टर दीप सिद्धू समेत आठ लोगों पर 50 हजार से एक लाख तक का इनाम घोषित किया है। मिली जानकारी के अनुसार दीप सिद्धू, जुगराज सिंह और गुरजोत सिंह पर एक एक लाख रुपये का इनाम घोषित किया गया है। सभी पंजाब के रहने वाले हैं और अपने अपने घरों से फरार हैं। लखविंदर सिंह लक्खा पर इसलिए इनाम नहीं रखा गया है कि वह सिंघू बॉर्डर पर ही छिपा हुआ है। वह फरार नहीं है। वहीं, दिल्ली पुलिस ने अन्य पांच जिनमें जयबीर सिंह, बूटा सिंह, सुखदेव सिंह और इकबाल सिंह के साथ एक अन्य की गिरफ्तारी पर 50 हजार रुपये का इनाम घोषित किया है। गौरतलब है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआइ) की तरफ से भी ट्रैक्टर परेड की आड़ में उपद्रव करने को लेकर मुकदमा दर्ज कराया गया है। इसमें लाल किले में उपद्रवियों द्वारा ऐतिहासिक इमारत में तोड़फोड़ करने के साथ ही गुंबद का कलश लूटे जाने की बात का भी जिक्र है।

गाजीपुर बॉर्डर...

किसान आंदोलन को लेकर पुलिस द्वारा लगाये गए नुकीले तारों के बीच से निकलकर जाते राहगीर। फोटो : एजेंसी

हिंसा में शामिल 12 चेहरों की तलाश में दिल्ली पुलिस

हरिभूमि न्यूज. नई दिल्ली। गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में ट्रैक्टर परेड के दौरान हुई हिंसा को लेकर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने आरोपितों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। सीसीटीवी फुटेज और अन्य स्रोतों के आधार पर दिल्ली पुलिस अब तक 12 चेहरों की पहचान कर चुकी है। इनकी तलाश में छापेमारी भी शुरू कर दी गई है। इनकी तस्वीरें भी पुलिस ने जारी कर दी है। जोकि अब इंटरनेट व सोशल मीडिया में वायरल हो रही हैं। स्पेशल सेल व क्राइम ब्रांच ने लोगों से अपील की है कि जिस किसी को इनके बारे में जानकारी मिले उसे तुरंत पुलिस को मुहैया करा दें। गौरतलब है कि गणतंत्र दिवस के दिन ट्रैक्टर और मोटरसाइकिल पर सवार करीब 300 उपद्रवियों ने लाल किले के अंदर जमकर उत्पात मचाया था। उपद्रवियों के आते ही लाल किले का लाहौरी गेट बंद कर दिया गया था। वहीं, सीआइएसएफ व पुलिसकर्मियों की टीम अंदर से स्थिति पर नजर रख रही थी। इसी बीच उपद्रवी गेट पर चढ़कर दूसरी और कूदने लगे थे। वहीं, तीसरे प्रयास में गेट तोड़कर अन्य लोग अंदर प्रवेश करने में सफल हो गए थे। इसके बाद उन्होंने पुलिस द्वारा बैरिकेड के रूप में खड़ी की गई बस में तोड़फोड़ करते हुए किले में तोड़फोड़ शुरू कर दी थी। अतिरिक्त पुलिस बल के आने पर शाम पांच बजे लाल किले के अंदर से उपद्रवियों को निकाला गया था।

पीएम सुरक्षा में तैनात कमांडो की हत्या करने वाला मुठभेड़ में ढेर

हरिभूमि न्यूज ⏭ नई दिल्ली

स्पेशल सेल ने उत्तर प्रदेश के बड़ौत में यूपी पुलिस के साथ मिलकर मंगलवार देर रात कुख्यात लुटेरे जावेद उर्फ राशिद को मुठभेड़ में मार गिराया। पुलिस ने इसके पास से 9 एमएम की एक कारबाइन सब मशीन, एक सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल और 31 कारतूस के साथ एक कार बरामद हुई है। जावेद ने गत वर्ष सितंबर माह में अपने तीन साथियों के साथ मिलकर प्रधानमंत्री सुरक्षा में तैनात दिल्ली पुलिस के सिपाही मनीष की लूटपाट के बाद बड़ौत में गोली मारकर हत्या कर दी थी। इसकी गिरफ्तारी पर यूपी पुलिस द्वारा एक लाख रुपये का इनाम घोषित किया गया था। ऐसी ही यूपी की दो अन्य लूट की वारदातों में भी यह शामिल रहा था।

इस पर दिल्ली और यूपी में कुल 21 केस दर्ज थे। इनमें एक दिल्ली का गैंगरेप का केस भी शामिल है। डीसीपी स्पेशल सेल प्रमोद सिंह कुशवाहा के मुताबिक

■ स्पेशल सेल और यूपी पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन में मारा गया बदमाश जावेद

38 वर्षीय जावेद शीशे वाली गली, डाबर तालाब, लोनी, गाजियाबाद का रहने वाला था। इस पर उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से एक लाख रुपये का इनाम था। जावेद के खिलाफ दिल्ली में 13 व उत्तर प्रदेश में 8 आपराधिक मामले दर्ज हैं। ये सभी मामले में हत्या, लूटपाट, हत्या के प्रयास, झपटमारी, पुलिसकर्मियों पर हमले, मारपीट, गैंगस्टर एक्ट, गैंगरेप व आर्म्स एक्ट के हैं। 2 फरवरी को स्पेशल सेल को सूचना मिली कि दिल्ली पुलिस के सिपाही मनीष की हत्या करने वाला कुख्यात जावेद सेंट्रो कार से बीनाई मेरठ रोड, गोल ट्यूब वेल के पास किसी साथी से मिलने आने वाला है। उसके पास हथियार भी है।

सूचना मिलते ही एसीपी अतर सिंह, इंस्पेक्टर शिव कुमार, कर्मवीर व पवन के नेतृत्व में टीम ने बड़ौत पहुंचकर लोकल पुलिस के साथ मिलकर चेकिंग शुरू कर दी। जावेद को सेंट्रो कार से आते देख पुलिसकर्मियों ने जब कार को रोकने का इशारा किया तब उसने पिस्टल से गोलियां चलानी शुरू कर दी। उसने पुलिस कर्मियों पर 14 राउंड फायरिंग की लेकिन कोई पुलिसकर्मी हताहत नहीं हुआ। पुलिस टीम ने भी जवाबी कार्रवाई में 6 राउंड गोलियां चलाई। गोली लगने से जावेद गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे बड़ौत के प्राथमिक उपचार केंद्र में ले जाया जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई।

जांच से पता चला कि उसने पिछले साल सात सितंबर को बड़ौत के सिंघावली में इमरान, नदीम व हसन के साथ मिलकर प्रधानमंत्री सुरक्षा में तैनात दिल्ली पुलिस के कमांडो सिपाही मनीष से लूटपाट के बाद हत्या कर दी थी। मनीष से 20 हजार रुपये व अन्य कीमती सामान लूटे गये थे। चारों बदमाश दो बाइक पर सवार होकर आए थे।

जावेद हथियार तस्करी भी करता था। स्पेशल सेल में उसके खिलाफ मामला चल रहा है। उक्त मामले में दिल्ली की एक अदालत ने उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था। 2019 में भजनपुरा पुलिस ने उसे सामूहिक दुष्कर्म के आरोप में गिरफ्तार किया था।

एटीएम तोड़कर नकदी चुराने की कोशिश नाकाम, दो गिरफ्तार

हरिभूमि न्यूज.नई दिल्ली। साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट के कापसहेड़ा थाना पुलिस ने मंगलवार देर रात एटीएम तोड़कर नकदी चुराने की कोशिश को नाकाम करते हुए दो मेवाती बदमाशों को गिरफ्तार किया है। इनके नाम मुबारक उर्फ मुब्बा व असलम बताये गये हैं। दोनों हरियाणा के पलवल जिला स्थित एंड्रोला गांव के रहने वाले हैं। इनके पास से एक कार, एटीएम तोड़ने में प्रयुक्त होने वाले औजार व दो पिस्टल बरामद हुए हैं। पुलिस के अनुसार दोनों बदमाश एटीएम तोड़कर नकदी चुराने के काम में पहले भी लिप्त रहे हैं। फिलहाल आरोपितों से पुलिस पूछताछ कर रही है।

सराहनीय...

नई दिल्ली। एम्स में बुधवार को रक्तदान करते भारतीय सेना के जवान। फोटो : एजेंसी

एक करोड़ की रंगदारी के लिये फायरिंग

हरिभूमि न्यूज. नई दिल्ली। द्वारका जिले के जाफरपुर कलां थानाक्षेत्र स्थित कादीपुर गांव में मंगलवार शाम गोली चलने की घटना सामने आई है। शुरुआती तफ्तीश में पता चला है कि एक करोड़ की रंगदारी वसूलने के इरादे से डराने के लिये फायरिंग की गई। इस घटना से गुस्साए ग्रामीणों ने सड़क पर देर रात प्रदर्शन भी किया। डीसीपी संतोष कुमार मीणा के अनुसार मंगलवार शाम करीब सवा सात बजे तीन हमलावर स्कूटी पर सवार होकर कादीपुर गांव में शेर सिंह नामक व्यक्ति के घर के बाहर पहुंचे और दो राउंड फायर कर फरार हो गये। पुलिस का कहना है कि कुछ समय पहले ही पीड़ित के घर एक पर्ची भेजकर एक करोड़ रुपये की रंगदारी की डिमांड की गई थी। आशंका जताई जा रही है कि इसी रंगदारी की डिमांड पूरी न करने पर फायरिंग की गई है। पुलिस ने इस संबंध में संबंधित धाराओं में केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस गांव में आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की भी फुटेज खंगाल रही है।

B J DUPLEX BOARDS LIMITED
Registered Office: H. No. 83, T/F Chawri Bazar, Delhi - 110006
Landline: (91)-11-42141100
CIN: L21090DL1995PLC066281
Web: http://www.bjduplexboard.com
E-Mail: sbj@anandpupl.com
NOTICE
Pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, it is hereby informed that a meeting of Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Friday, 12th February, 2021 at 11:00 A.M. at the Registered Office of the Company situated at H. No. 83, T/F Chawri Bazar, Delhi – 110006, to consider and approve, inter-alia, the unaudited Standalone Financial Results of the Company for the third quarter & nine months ended 31st December, 2020.
The said notice may be accessed on the Company's website www.bjduplexboard.com and of the Stock Exchange website www.bseindia.com
By Order of the Board
For B J DUPLEX BOARDS LIMITED
Date : 03/02/2021 Sd/-
Place : Delhi DIVYA MITTAL
Company Secretary & Compliance Officer

धोखाधड़ी के मामले में ओला कैब चालक समेत तीन गिरफ्तार

हरिभूमि न्यूज ⏭ नई दिल्ली

कापसहेड़ा पुलिस ने धोखाधड़ी के मामले में ओला कैब ड्राइवर और दो स्क्रैप डीलर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से स्विफ्ट कार, सीएनजी सिलेंडर और गैस किट बरामद की है। आरोपियों के नाम दादरी ग्रेटर नोएडा निवासी राहुल चौहान, मोहम्म्द साबिर व भगत सिंह है।

डीसीपी इंगित प्रताप सिंह के अनुसार शिकायतकर्ता महेंद्र सिंह ने अपने साथ हुई धोखाधड़ी की बाबत एक फरवरी को कापसहेड़ा थाने में शिकायत दी थी। उन्होंने बताया कि 19 जनवरी को डिजायर कार चलाने के लिए एक ड्राइवर को हायर किया था। वह ओला उबेर में टैक्सी चलाता था। 24 जनवरी को राहुल चाहौन की लोकेशन जानने के लिए उसे कॉल किया गया लेकिन उसका फोन बंद मिला। उसने न तो गाड़ी ही वापस की और ना ही कुछ पता चल

पाया। एक फरवरी को पुलिस ने पीड़ति की शिकायत पर साजिश के तहत धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस ने शिकायतकर्ता की फोटो लेकर उसकी तलाश शुरु की। टैक्नीकल सर्विलांस के जरिये उसके बारे में जुटायी गई जानकारी के आधार पर इसे दबोच लिया गया। आरोपी ने पूछताछ में खुलासा किया वह टैक्सी मालिकों से संपर्क कर पहले ड्राइवर की नौकरी मांगता और फिर उन्हें धोखा देता। वह कार को अपने जानकार स्क्रैप डीलर मोहम्मद साबिर और भगत सिंह को बेच देता था।

नौकर ने डुप्लीकेट चाबी से उड़ाये थे लाखों के गहनें व कैश

हरिभूमि न्यूज ⏭ नई दिल्ली

नकली चाबी बना मालिक के घर से 45 से 50 लाख के गहनें और दो लाख रुपये कैश चोरी कर फरार हुये नौकर को उसके दो रिश्तेदारों के साथ कालकाजी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों के नाम मदनपुर खादर निवासी शिव कुमार यादव, अनंतराम यादव और पंकज कुमार यादव बताये गये हैं। पंकज यादव जनकपुरी इलाके में रहता है। उनके पास से सोने के चार कंगन, चोरी के गहनों से लिये गये लोन की रसीद बरामद हुई है।

डीसीपी आरपी मीणा के अनुसार 30 जनवरी को डॉ. एनके अग्रवाल ने कालका जी थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। जिसमें उन्होंने बताया था कि 27 जनवरी की सुबह लगभग 10 बजे उन्होंने पाया कि घर से लगभग दो लाख

■ पुलिस ने नौकर समेत तीन को किया गिरफ्तार

रुपये और लगभग 45-50 लाख के गहनें चोरी हुए हैं । उन्होंने अपने नौकर शिव कुमार पर संदेह जताया। शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई। एसएचओ संदीप घई के नेतृत्व में टीम बनाई गई। संदिग्ध व्यक्ति शिव कुमार से पूछताछ की गई। उसके मोबाइल फोन का डाटा भी चेक किया गया। मोबाइल डाटा की जांच के दौरान पाया गया कि अलमीरा की चाबियों की दो तस्वीरें, गुवाहाटी (असम) के कुछ हवाई टिकट उसके मोबाइल फोन में पाए गए। सख्ती से पूछताछ में वह टूट गया और खुलासा किया कि अगस्त 2020 के दौरान, उसने सोने के गहनें और रुपये चोरी करने के इरादे से डुप्लीकेट चाबी बना ली थी। इसके बाद वह समय-समय पर गहनें और नगदी चोरी करता रहा। उसने भाई अनंत राम यादव और फूफा पंकज कुमार यादव की मदद से चोरी के गहनों पर लोन ले लिया था।

जींस फैक्ट्री में सेंध लगाने वाले आधा दर्जन बदमाश गिरफ्तार

हरिभूमि न्यूज. नई दिल्ली

दक्षिणी पूर्वी जिले की एएटीएस ने जींस फैक्ट्री में सेंध लगाने वाले आधा दर्जन बदमाशों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 352 जींस व एक कार बरामद हुई है। गिरफ्तार बदमाशों के नाम हरीश कुमार मीणा, प्रवीण उर्फ राहुल, सुरेंद्र, लोकेश, नईम अली और जतिन हैं। पुलिस को इनके बारे में दो फरवरी को सूचना मिली थी कि जैतपुर की एक जींस फैक्ट्री में सेंध लगाने वाले मारुति सिलेरियो कार में सवार होकर करोल बाग के टैंक रोड जाएंगे। इसके बाद तुगलकाबाद मेट्रो स्टेशन, मथुरा रोड पर ट्रैप लगाकर कार को इंटरसेप्ट किया और सभी बदमाशों को दबोच लिया।

महाशक्तिशाली सिकंदरे आज़म (हर्बल औषधि) कैप्सूल
हाशमी अमरोहा द्वारा निर्मित
नई ताकत, सेहत, जवानी व उमंग के साथ सुखमय विवाहित जीवन का आनन्द लें जी भर कर
तुष्टि पुष्टि संतुष्टि के लिए
मेडिकल स्टोर से खरीदें या फोन करें
09212358677
09015270020

enchanté FINE JEWELLERY
एन्चान्टे ज्यूलरी लिमिटेड
CIN : L74899HR1995PLC032759
पंजी. कार्यालय : प्लॉट नं. 3 व 4, उद्योग विहार, फेज-IV, गुड़गांव, हरियाणा-122005
Email- ID: enchante@enchantejewellery.co.in, **Website:** www.enchantejewellery.co.in
34वीं वार्षिक सामान्य बैठक की सूचना
कम्पनी के सदस्यों की 34वीं वार्षिक सामान्य बैठक एजीएम की सूचना में निर्धारित बिजनेस के निष्पादन हेतु कॉमन स्थल पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना बृहस्पतिवार, 25 फरवरी 2021 को पूर्वा. 11.00 बजे वीडियो कांफ्रेंसिंग ("वीसी") / अन्य ऑडियो विजुअल साधनों ("ओएवीएम") के माध्यम से आयोजित की जाएगी। कम्पनी मामलों का मंत्रालय (एमसीए परिपत्र) द्वारा जारी सामान्य परिपत्र सं. 14/2020, 17/2020 और 20/2020 दिनांक 08 अप्रैल 2020, 13 अप्रैल 2020 और 05 मई 2020 क्रमशः के साथ पठित तथा परिपत्र सं. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 दिनांक 12 मई 2020, सेबी (लिस्टिंग ऑब्लीगेशंस एवं डिस्कोलर आवश्यकताएं) नियमनों, 2015 और कम्पनी अधिनियम 2013 के लागू प्रावधानों के अनुपालन में, सदस्य आगामी एजीएम में ऑडियो विजुअल साधनों से उपस्थित होने और भाग लेने के योग्य होंगे तथा प्रॉक्सी को नियुक्त करने की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी। एजीएम में ऑडियो विजुअल साधनों के माध्यम से उपस्थित सदस्यों की गणना कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 113 के तहत कॉरम की गणना के उद्देश्य से की जाएगी।
सम्बन्धित परिपत्रों के अनुपालन में, वित्तीय वर्ष 2019-20 हेतु एजीएम की सूचना और और वार्षिक रिपोर्ट उन सभी सदस्यों को जिनके ई-मेल पते कम्पनी/डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स और अथवा लिंक इनटाइम प्राईवेट लिमिटेड (आरटीए) के पास 18 फरवरी 2021 को पंजीकृत हैं, को भेजी जा चुकी है। यह कम्पनी की वेबसाइट www.enchantejewellery.co.in तथा कम्पनी के रजिस्ट्रार की वेबसाइट और ट्रांसफर एजेंट, लिंक इनटाइम इंडिया प्राईवेट लिमिटेड http://https://instavote.linkintime.co.in पर भी उपलब्ध हैं। सदस्यों को यह नोट करने का आग्रह किया जाता है कि उपरोक्त दस्तावेजों की भौतिक प्रतियां कम्पनी द्वारा उन्हें उपलब्ध नहीं होंगी।
कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 108 और कम्पनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) संशोधित नियमों, 2014 के नियम 20 संशोधित अनुसार तथा सेबी (लिस्टिंग ऑब्लीगेशन एवं डिस्कलोजर आवश्यकताएं) नियमनों 2015 के नियमन 44 के प्रावधानों के अनुपालन में कम्पनी इसके सदस्यों को (भौतिक रूप से या इलैक्ट्रोनिक रूप से शेयरधारण करने वाले) सदस्यों को 34वीं एजीएम की सूचना में निर्धारित सभी प्रस्तावों पर एजीएम में इलैक्ट्रोनिक साधनों द्वारा (दूरस्थ ई-वोटिंग के साथ-साथ ई-वोटिंग) अपने मताधिकार सुविधा का उपयोग करने की सुविधा देने हेतु प्रसन्न है। कम्पनी ई-वोटिंग सुविधा उपलब्ध करवाने के लिये लिंक इनटाईम इंडिया प्राईवेट लिमिटेड ('एलआईआईपीएल') की सेवाओं को नियुक्त कर चुकी है।
दूरस्थ ई-वोटिंग अवधि सोमवार, 22 फरवरी 2021 (पूर्वा. 10:00 बजे आईएसटी) को प्रारम्भ होगी और 24 फरवरी 2021 (अप. 5:00 बजे आईएसटी) समाप्त होगी। इसके उपरांत दूरस्थ ई वोटिंग मॉड्यूल वोटिंग हेतु एलआईआईपीएल द्वारा अयोग्य कर दिया जाएगा।
सदस्यों को वोटिंग का अधिकार दिनांक 18 फरवरी 2021 ('कट ऑफ तिथि') को कम्पनी की भुगतान की गई इक्विटी शेयर कैपिटल में उनके द्वारा धारण किये गये इक्विटी शेयरों के अनुपात में होगा। कोई व्यक्ति जो कट ऑफ तिथि को कम्पनी का सदस्य है एजीएम में वोटिंग अथवा दूरस्थ ई-वोटिंग का उपयोग करते हुये एजीएम की सूचना में विनिर्दिष्ट सभी प्रस्तावों पर मत देने का पात्र हैं।
सदस्य जो वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में उपस्थित हैं और जिन्होंने प्रस्तावों पर अपने वोट दूरस्थ ई-वोटिंग के माध्यम से नहीं दिये हैं एजीएम के दौरान ई-वोटिंग के माध्यम से मत देने के पात्र होंगे। एजीएम के दौरान ई-वोटिंग हेतु विस्तृत प्रक्रिया और निर्देश 34वीं एजीएम की सूचना में वर्णित है।
यदि सदस्यों ने अपने ई-मेल पते कम्पनी / आरटीए / डिपॉजिटरीज के पास पंजीकृत नहीं करवाएं हैं निम्नलिखित आदेशों का पालन करें :
(i) कृपया हमारे आरटीए की वेबसाइट, investor services के तहत लिंक इनटाईम इंडिया प्राईवेट लिमिटेड www.linkintime.co.in को लॉगइन करें > ई-मेल पंजीकरण विवरण - विवरण भरें, अपेक्षित दस्तावेजों का अपलोड करें और सब्मिट करें।
(ii) डिमैट मोड में धारित शेयरों के मामले में :
शेयरधारक कृपया डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट ('डीपी') से सम्पर्क करें और डीमैट खाते में डीपी द्वारा बताई गई प्रक्रिया का पालन करते हुये ई-मेल पते को पंजीकृत करवाएं।
ई वोटिंग के सम्बन्ध में शेयरधारक किसी पूछताछ अथवा मामले हेतु आप बारम्बार पूछे जाने वाले प्रश्नों (एफएक्यूज) और हैल्प सेक्शन के तहत https://instavote.linkintime.co.in पर उपलब्ध इंस्टा वोट ई-वोटिंग मैनुअल देखें अथवा enotices@linkintime.co.in को एक ई-मेल भेजे अथवा टेली. : 022-4918 6000 पर सम्पर्क करें।
बोर्ड के आदेशानुसार
कृते एन्चान्टे ज्यूलरी लिमिटेड
हस्ता/-
स्थान : गुरुग्राम विनय मेहरा
दिनांक : 04.02.2021 (प्रबंध निदेशक)

क्राइम बांच ने किया गिरफ्तार

विदेशों में नौकरी का लालच देकर 50 से ज्यादा लोगों को बना चुका था शिकार

हरिभूमि न्यूज ⏭ नई दिल्ली

क्राइम बांच ने एक ऐसे शातिर ठग को पकड़ा है, जो विदेशों में नौकरी के नाम पर बेरोजगार लोगों से रकम ऐंठता था। यह ठग अब तक 50 से ज्यादा लोगों को अपना शिकार बनाकर लाखों रुपए की चपत लगा चुका था। 28 वर्षीय मुरारी स्वामी मूलरुपस से नागौर राजस्थान का रहने वाला है। पुलिस ने इसके पास से पांच पीड़ितों के पासपोर्ट, एक लैपटॉप, रजिस्टर, तीन मोबाइल, कई सिम कार्ड और बैंक में मौजूद चार लाख सात हजार रुपए जब्त किए हैं। आरोपी सोशल मीडिया पर एक फर्जी अकाउंट बना उस पर

विदेश में नौकरी संबंधित विज्ञापन देकर युवाओं को लुभाता था।

एडिशनल सीपी क्राइम ब्रांच शिबेश सिंह ने बताया कि पीड़ित और उसके दोस्तों ने जॉब के नाम पर ठगे जाने की शिकायत दी थी। उन्हें बकायदा जालसाज ने फर्जी वीजा देकर मोटी रकम ऐंठ ली थी। डीसीपी भीष्म सिंह के नेतृत्व वाली टीम ने टैक्नीकल सर्विलांस की मदद लेते हुए आरोपी के बारे में जानकारी जुटानी शुरु की। एक फरवरी को पुलिस को जानकारी मिली कि आरोपी बागडौला द्वारका में किराए पर रहता है। जिसके बाद ट्रैप लगाकर उसे पकड़ा गया। आरोपी ने पूछताछ में खुलासा किया वह काफी देशों में वेटर, इलैक्ट्रीशियन व कई अन्य तरह की नौकरी कर चुका था। उसे पता चल चुका था कि विदेशों में नौकरी करने की इच्छा ज्यादातर युवा रखते हैं। लिहाजा, धोखाधड़ी के लिए इसी को हथियार बनाया गया। उसने सोशल मीडिया पर एक फर्जी अकाउंट बना उस पर विदेश में नौकरी सम्बंधी विज्ञापन दिए। साथ ही साइप्रस देश की फर्जी वेबसाइट बना जॉब सैम्पल लैटर उम्मीदवार के वीजा सम्बंधित जानकारी डाल दी। इस जालसाज ने पीड़ति लोगों को नौकरी के लिये नकली नियुक्त पत्र भी दे दिए थे। रुपए ऐंठने के बाद वह मोबाइल की सिम तोड़ देता था, ताकि पकड़ा ना जा सकें। आरोपी 2012 में मलेशिया गया था जहां उसने गार्ड की नौकरी की। साल 2016 में इसने बैंकॉक जाकर रेस्त्रां में काम किया। अगले साल वह चीन गया लेकिन वहां काम नहीं मिल पाने की वजह से दो सप्ताह बाद ही वापस लौट आया।

85 लाख लेकर फरार हुआ ड्राइवर गिरफ्तार

हरिभूमि न्यूज ⏭ नई दिल्ली

दक्षिणी जिले के डिफेंस कालोनी में मालिक के 85 लाख रुपए लेकर फरार हुए ड्राइवर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इसके पास से 83 लाख से ज्यादा की रकम और कुछ खरीदा गया सामान बरामद हो गया है। आरोपी का नाम खिजराबाद क्षेत्र निवासी राघव है। इसे मालिक ने रकम बैंक में जमा करवाने के लिये दी थी। लेकिन लालच के कारण वह रकम लेकर फरार हो गया था।

डीसीपी अतुल कुमार ठाकुर के अनुसार 28 जनवरी को अमिता वसंत ने डिफेंस कॉलोनी थाना पुलिस को लिखित शिकायत दी थी। जिसमें बताया गया उनकी बेटी संभावना ने ड्राइवर राघव को 85 लाख रुपए बैंक में जमा करने के लिए दिए थे। उसने रकम बैंक में जमा नहीं की और वह अंडरग्राउंड हो गया। इस बाबत पुलिस ने अमानत में ख्यानत का मुकदमा दर्ज किया। जांच के दौरान इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरे चैक किए, जहां पर आरोपी कार छोड़कर भाग गया था। एक टीम इसके बारे में पता लगाने के लिए बिहार भी भेजी गई। आखिर में इसे न्यू फ्रैंडस कॉलोनी खिजराबाद निवासी राघव को उस वक्त पकड़ लिया, जब वह अपने परिवार को लेकर कहीं दूसरी जगह जाने की तैयारी में था। इसके पास से 83 लाख 76 हजार रुपए, दो ट्रॉली, बैग, एक मोबाइल और कुछ कपड़े बरामद किए। आरोपी ने पुलिस को बताया कि वह करीब 14 साल पहले मधुबनी से दिल्ली आया था। यहां उसने घरेलू नौकर के तौर पर काम करना शुरु किया।